

न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर


विविध बैंक प्रकरण संख्या 317 / 2025(GCMS : 2025/432)

भारतीय स्टेट बैंक शाखा जैतसर, तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री राधेश्याम चैनी, मुख्य प्रबन्धक, शाखा सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

बनाम

श्रीमती राम कौर पत्नी री मिट्टू सिंह निवासी गांव 10 सरकारी ग्राम पंचायत 10 सरकारी तहसील विजयनगर, जिला श्रीगंगानगर


26.11.2025



पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक/कम्पनी ने जरिये अधिवक्ता श्री भारत भूषण महेन्द्रा ने एक प्रार्थना पत्र वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी द्वारा अप्रार्थी राम कौर को ऋण सुविधा के रूप में 8.00/- लाख रुपये ऋण राशि की स्वीकृति दिनांक 04.09.2020 प्रदान की थी। अप्रार्थीगण के खाते में दिनांक 03.09.2023 को 11,09,985/- रुपये की राशि भुगतान से बकाया थी। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी राम कौर द्वारा बंधक रखी अपनी अचल रिहायशी सम्पत्ति पट्टा नं. 31, बुक नं. 76 दिनांकित 20.08.2019, संकल्प नं. 1, दिनांकित 20.08.2019, गांव 10 सरकारी ग्राम पंचायत 10 सरकारी, तहसील विजयनगर, जिला श्रीगंगानगर (राज.) (बैंक में उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार क्षेत्रफल 40' गुणा 65' = 2600 वर्गफुट), का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जाने की प्रार्थना की है।

मैने, पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14, शपथ पत्र एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजात का भी अवलोकन किया तो पाया कि उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी राम कौर को 8.00/- लाख रुपये का ऋण की स्वीकृत दिनांक 04.09.2020 को प्रदान की गई थी। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी राम कौर ने अपनी अचल रिहायशी सम्पत्ति पट्टा नं. 31, बुक नं. 76 दिनांकित 20.08.2019, संकल्प नं. 1, दिनांकित 20.08.2019, गांव 10 सरकारी ग्राम पंचायत 10 सरकारी, तहसील विजयनगर, जिला श्रीगंगानगर (राज.) (बैंक में उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार क्षेत्रफल 40' गुणा 65' = 2600 वर्गफुट), प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र



  
जिला मजिस्ट्रेट  
श्रीगंगानगर

के अनुसार अप्रार्थी ऋणी का खाता दिनांक 03.09.2025 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) हो गया। बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणी को धारा 13(2) के नोटिस व्यक्तिगत तामील करवाया गया है, जिसकी प्रति पत्रावली में उपलब्ध है।

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर विधिवत् रूप से होनी आवश्यक है।


जहां तक ऋण की एवज में अप्रार्थी राम कौर की अचल रिहायशी सम्पत्ति पट्टा नं. 31, बुक नं. 76 दिनांकित 20.08.2019, संकल्प नं. 1, दिनांकित 20.08.2019, गांव 10 सरकारी ग्राम पंचायत 10 सरकारी, तहसील विजयनगर, जिला श्रीगंगानगर (राज.) (बैंक में उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार क्षेत्रफल 40' गुणा 65' = 2600 वर्गफुट), जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का संबन्ध है, वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

जहां तक अप्रार्थी ऋणी पर धारा 13(2) के जारी नोटिस 27.12.2023 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक 27.12.2023 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) के नोटिस, अप्रार्थी को व्यक्तिशः तामील करवाया गा है, जिसकी प्रति पत्रावली में उपलब्ध है,, जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) की तामील होना माना जाना उचित है। इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण ने बैंक की समस्त बकाया ऋण राशि जमा नहीं करवाई है और न ही शपथ पत्र के अनुसार नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है। इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में ऋणी राम कौर द्वारा प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई संपत्तियों का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित होगा।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक का उक्त प्रार्थना पत्र वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 स्वीकार किया जाता

है और अप्रार्थी ऋणी राम कौर द्वारा प्रार्थी बैंक/कम्पनी से प्राप्त ऋण की सुरक्षा की एवज में बंधक रखी गई अचल रिहायशी सम्पत्ति पट्टा नं. 31, बुक नं. 76 दिनांकित 20.08.2019, संकल्प नं. 1, दिनांकित 20.08.2019, गांव 10 सरकारी ग्राम पंचायत 10 सरकारी, तहसील विजयनगर, जिला श्रीगंगानगर (राज.) (बैंक में उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार क्षेत्रफल 40' गुणा 65' = 2600 वर्गफुट), का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक/कम्पनी को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है। इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस आदेश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी को उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता उपलब्ध करवाई जावे। सहायता उपलब्ध करवाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि उक्त बंधक रखी गई सम्पत्ति किसी भी न्यायालय में विवादित अथवा स्थगन से प्रभावित तो नहीं है। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तर्तीब तकमील दाखिल दफ़तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 26.11.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(डॉ. मन्जू)

जिला मजिस्ट्रेट  
श्रीगंगानगर